महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष: 0151-2970177 **ई-मेल:** registrar@mgsubikaner.ac.in

प.07( )मगंसिंविबी/शैक्षणिक/विद्या परिषद/विशेष/2021/ 599 - 652 दिनांक : 16/4/21

समस्त सदस्य
विद्या परिषद्
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,
बीकानेर।

विषय : विद्या परिषद् की विशेष बैठक दिनांक 12-04-2021 का कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 12-04-2021 को आयोजित विद्या परिषद् की विशेष बैठक का कार्यवाही विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। कार्यवाही विवरण में अंकित निर्णय के सम्बन्ध में यदि किसी माननीय सदस्य को आपत्ति हो तो कृपया 07 दिवस में लिखित आपत्ति ई-मेल registrar@mgsubikaner.ac.in पर प्रेषित करने की कृपा करावें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

कुलसचिव

Scanned with CamScanner

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष:0151 -2970177 ई :मेल-registrar@mgsubikaner.ac.in

विद्या परिषद् की विशेष बैठक का कार्यवृत (Minutes)

विद्या परिषद की विशेष बैठक दिनांक 12-04-2021 को प्रातः 11:30 बजे महर्षि शौनक भवन (कुलपति सचिवालय) के प्रबन्ध बोर्ड सभागार में ऑनलाईन आयोजित हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1	प्रो. विनोद कुमार सिंह माननीय कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल, संकायाध्यक्ष कला	सदस्य
3	प्रो. राजाराम चोयल, संकायाध्यक्ष विज्ञान	सदस्य
4	डॉ. वी.एन. सिंह, संकायाध्यक्ष विधि	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
5	डॉ. आर.सी. श्रीवास्तव, संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
6	डॉ. मीनू पूनियां, संकायाध्यक्ष वाणिज्य	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
7	डॉ. मिनाक्षी मिश्रा, संकायाध्यक्ष शिक्षा	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
8	डॉ. मोहम्मद नईम, संयुक्त सचिव,उच्च शिक्षा प्रतिनिधि, शासन सचिव, उच्च शिक्षा	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
9	डॉ. निधि अग्रवाल राज्य सरकार द्वारा नामित शिक्षाविद्	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
10	डॉ. श्रवण सैनी राज्य सरकार द्वारा नामित प्राचार्य, सरकारी महाविद्यालय	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
11	डॉ. बी. एल. विश्नोई, राज्य सरकार द्वारा नामित प्राचार्य, निजी महाविद्यालय	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
12	प्रो. अनिल कुमार छंगाणी कुलपति महोदय द्वारा नामित आचार्य	सदस्य
13	डॉ. शालिनी मूलचंदानी, संयोजक-हिन्दी	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
14	डॉ. संध्या जैन, संयोजक- वनस्पतिशास्त्र	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
15	डॉ. विजय श्री, संयोजक-वनस्पतिशास्त्र	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
16	डॉ. ज्योति लखाणी, संयोजक-कम्प्यूटर विज्ञान	सदस्य
17	डॉ. शिशिर शर्मा, संयोजक -भूगर्भ विज्ञान	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
18	डॉ. गौतम कुमार मेघवंशी, संयोजक, सूक्ष्म जीव विज्ञान	सदस्य
19	डॉ. रविन्द्र मंगल, संयोजक- भौतिक विज्ञान	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
20	डॉ. मीरा श्रीवास्तव, संयोजक -प्राणीशास्त्र	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
21	डॉ. सीमा शर्मा, संयोजक -अंग्रेजी	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
22	डॉ. नन्दिता सिघवी,संयोजक-संस्कृत	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
23	डॉ. सुमित्रा चारण, संयोजक-दर्शनशास्त्र	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)

Scanned with CamScanner

24 डॉ. बी.एस. रतन, संयोजक-अर्थशास्त्र सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
25 डॉ. इन्द्रा गोस्वामी, संयोजक-गृह विज्ञान सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
26 डॉ. इन्द्रसिंह राजपुरोहित - संयोजक, चित्रकला सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
27 डॉ. अम्बिका ढाका, संयोजक- इतिहास सदस्य
28 डॉ. डी.एस. पूनिया, संयोजक-ए.बी.एस.टी. सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
29 डॉ. पंकज जैन, संयोजक -व्यवसायिक प्रशासन सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
30 डॉ. आशा शर्मा, संयोजक- ई.ए.एफ.एम. सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
31 डॉ. भगवाना राम बिश्नोई, संयोजक विधि सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
32 डॉ. सतपाल स्वामी, संयोजक -शिक्षा सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
33 डॉ. यशवंत गहलोत, संयोजक-शारीरिक शिक्षा सदस्य
34 डॉ. ई.ए. हैदरी, संयोजक-उर्दू सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
35 डॉ. अमर सिंह, संयोजक-सैन्य विज्ञान सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
36 डॉ. नरेश पंवार, संयोजक-जैव तकनीकी विज्ञान सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
37 श्रीमती धनवन्तरी विश्नोई, संयोजक-जीपीईएम. सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
38 प्रो. ए.वी. सिंह मदनावत, संयोजक-मनोविज्ञान सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
39 श्री उमेश शर्मा, संयोजक-पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
40 डॉ. अभिषेक वशिष्ठ, कुलपति महोदय द्वारा नामित शिक्षक सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
41 श्री संजय धवन, कुलसचिव सदस्य सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने विद्या परिषद् बैठक में उपस्थित एवं विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से जुडे समस्त सदस्यों का स्वागत किया।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा सदन के समक्ष बिन्दुवार मद प्रस्तुत किये गए जिन पर सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गए :-

मद संख्या	मद	विभाग/अनुभाग
01	**मद संख्या : मगंसिविबी/विद्या परिषद-विशेष/2021/01** **स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध तथा शिक्षा संकाय (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) के विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने के पश्चात् अन्तिम वर्ष के परीक्षा परिणाम की गणना के सम्बंध में प्रस्ताव :-** राज्य सरकार द्वारा परीक्षा आयोजन हेतु कोविड-19 के दृष्टिगत जारी निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष, विधि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष तथा शिक्षा संकाय स्नातक एवं स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करवा ली गई हैं। स्नातक स्तर प्रथम/द्वितीय वर्ष, बी.एफ.ए. एवं बी.ए./बी.एस.सी बी. एड. में प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्श के विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में प्रोन्नत कर प्रमोशन सर्टिफिकेट जारी कर दिये गये है। स्नातकोत्तर एवं शिक्षा संकाय के पाठ्यक्रम(बी.एड./स्पेशल बी.एड./बी.पी.एड./एम.एड.)	परीक्षा

Scanned with CamScanner

के पाठ्यक्रम चूंकि दो वर्षीय होने के कारण अन्तिम वर्ष की परीक्षा उपरान्त परिणाम की गणना करने में व्यवहारिक कठिनाई आ रही है।

स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध तथा शिक्षा संकाय स्नातक (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) के विद्यार्थियों को क्रमोन्नत किये जाने के फलस्वरूप आगामी वर्ष में जाने वाले परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणामों की गणना के सम्बंध में मार्गदर्शन/दिशा निर्देश हेतु शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार को विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 2020/4659 दिनांक 26.11.2020, पत्रांक 2020/6917 दिनांक 08.01.2020 तथा माननीय कुलपति महोदय की ओर से अर्द्ध-ासकीय पत्र क्रमांक 89 दिनांक 01.02.2021 प्रेषित कर मार्गदर्शन मांगा गया था परन्तु राज्य सरकार से इस सम्बंध में मार्ग दर्शन/दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। संदर्भ हेतु उक्त तीनों पत्रों की छांया प्रति संलग्न है। इसी क्रम में राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.1(9)आर.बी./2020/399 दिनांक 25.01.2021 (छांया प्रति संलग्न) के साथ विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत करने हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा जारी नियमावली संलग्न करते हुए उक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत करने हेतु अंकित किया गया है।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा जारी नियमावली में भी केवल स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं बी.एड. भाग प्रथम- परीक्षार्थियों को प्रोन्नत प्रमाण-पत्र जारी किये जाने एवं उसके आधार पर ही स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध/बी.एड. भाग द्वितीय की परीक्षा में सम्मिलित होने का उल्लेख है। उपरोक्त गाईडलाईन में स्नातकोत्तर तथा शिक्षा संकाय के विद्यार्थियों को अंतिम वर्ष उतीर्ण करने पर प्रदान की जाने वाली अंकतालिका में पूर्वार्द्ध के प्राप्तांकों की गणना किस आधार पर की जाएगी, इस बाबत् स्थिति स्पष्ट नहीं है।

शिक्षा संकाय के सम्बंध में NCTE द्वारा कोविड-19 के सन्दर्भ में जारी गाईडलाईन के बिन्दु संख्या 4 के अन्तर्गत निम्नलिखित दिशा निर्देश प्रदान किये गये है, 'Admission, Examination & Certification etc: TEIs function according to the reules statues/Norms of the Affiliating Body/University for admission, examination, certification etc, <u>Therefore UGC/State Govt. advisiory/ instructins with regard to Admission, Examination and Certification etc. Under COVID-19 should be adhered within the limit of NCTE regulation.</u>'

अतः सत्र 2019-20 में स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं शिक्षा संकाय के दो वर्षीय पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में पंजीकृत विद्यार्थियों द्वारा आगामी सत्र में अंतिम वर्ष की परीक्षा उतीर्ण करने पर प्रदान की जाने वाली अंकतालिका में पूर्वार्द्ध/पार्ट-प्रथम के प्राप्तांकों की गणना का आधार निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

Scanned with CamScanner

निर्णय	माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त मद के सम्बन्ध में विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों से सुझाव आमंत्रित किये गए। समस्त सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार बैठक में परीक्षा 2020 के स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों को क्रमशः स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध एवं शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पार्ट द्वितीय में क्रमोन्नत करने के निर्णय को अनुमोदित करते हुए इन विद्यार्थियों को प्रोन्नत प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध एवं शिक्षा संकाय द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण होने पर उनके प्राप्तांको के औसत के आधार पर क्रमशः स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं शिक्षा संकाय के प्रथम वर्ष के अंको की गणना कर उक्त अंको को स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध की अंकतालिका के पूर्वार्द्ध में प्राप्तांकों के कॉलम में एवं इसी प्रकार शिक्षा संकाय द्वितीय वर्ष की अंकतालिका के प्रथम वर्ष के प्राप्तांको के कॉलम में अंकित कर अंकतालिका एवं उपाधि जारी की जाएगी। उक्त परिणाम से संतुष्ट नही होने पर विद्यार्थियों को परफॉरमेंस इम्प्रूव करने का अवसर प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया।	
02	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से	परीक्षा
	(1) परीक्षा वर्ष 2021 के आयोजन हेतु कार्ययोजना तैयार करने एवं तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। (2) माननीय सदस्य डॉ. बी.एल. विश्नोई ने सदन के समक्ष कोविड-19 लॉकडाउन लगने से पूर्व सम्पन्न परीक्षा में कोविड जनित परिस्थितियों के कारण उपस्थित नही हो सके विद्यार्थियों को विशेष परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। उक्त प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विशेष अवसर प्रदान करने की सहमति प्रदान की गई।	

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलसचिव

Scanned with CamScanner